

आशय पत्र (Letter of Intent)


अधिसूचना संख्या-1582/VII-1/2017/31 ख/17, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार जनपद उधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज के ग्राम साधुनगर, कैलाश नदी क्षेत्रफल 5.926 है० में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्टर) को ई-निविदा सह ई-नीलागी के माध्यम से आबंटन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलागी आमंत्रण प्रपत्र सं०-12\_USN\_Sadhunagar\_Kelash Nadi\_5.926 ha /मू०खनि०ई०/ई०निवि०सहई०नीला०/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के क्रम में उक्त नियमावली, 2017 के नियम 27.ग (द्वितीय चरण) के उपनियम 5 के प्रावधानानुसार श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी बार्ड-3, सितारगंज, उधमसिंहनगर को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली रू० 1,79,51,147.00 (रू० एक करोड़ उनसी लाख इक्यावन हजार एक सौ सैतालीस मात्र) के आधार पर HA घोषित किया गया है।

2. श्री पुनीत कुमार गोयल को उक्त नियमावली के नियम 28.क के उपनियम-1 के प्रावधानानुसार बोली मयी अधिकतम उच्चतम बोली रू० 1,79,51,147.00 (रू० एक करोड़ उनसी लाख इक्यावन हजार एक सौ सैतालीस मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि रू० 17,95,114.00 (रू० सत्रह लाख पचानवे हजार एक सौ चौदह मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किये जाने, विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित अभिलेखों की मूल प्रतियाँ सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून में जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित माना गया है। उक्त नियमावली के नियम 28.क के उपनियम-3 के प्रावधानानुसार श्री पुनीत कुमार गोयल द्वारा उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि रू० 17,95,114.00 (रू० सत्रह लाख पचानवे हजार एक सौ चौदह मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक माने जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी बार्ड-3, सितारगंज, उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज के ग्राम साधुनगर, कैलाश नदी क्षेत्रफल 5.926 है० में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है-

- (1) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2001 के नियम-17 के प्रावधानानुसार सीमांकन कराये जाने, खनन योजना अनुमति प्राप्त कराये जाने एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने को कार्यवाही 06 (छ) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
- (2) आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई-नीलागी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि रू० 44,87,786.75 अर्थात् रू० 44,87,787.00 (रू० चोबालीस लाख सत्तासी हजार सात सौ सत्तासी मात्र) धरोहर धनराशि (Security Money) समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने के बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री-बिड जर्नल वापस कर दी जायेगी। बैंक गारन्टी की स्कैन कॉपी सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत विभागीय वेबसाईट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती है या अर्पित समयावधि राज्य सरकार द्वारा अदान-तेही की जाती है तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जमा कर लिया जायेगा।
- (3) स्वीकृत क्षेत्राधीन उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (प्रासशोषित) 2017 के नियम 29(क)(4) के अनुसार उपखनिज चुगान कार्य अधिकतम 2.5 मीटर की गहराई अथवा गू जल स्तर जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

RAVINDRA PARMAR  
(Geologist)  
Mining & Environmental Law Specialist  
National Law University Delhi  
BOP Reg. No. ROP/DW/01/2017

- (4) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से अनुमोदित करायी जानी होगी, जिसमें निकारी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संत्रिन्यायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरफरेनरल खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वागियों का क्षेत्रफलवार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त 100 मीटर की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, सभीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाइट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिह्नित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने होंगे। राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।
- (5) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर०क्यू०पी० से खनन योजना तैयार कराकर व खनन योजना अनुमोदन शुल्क ₹ 50,000/- निर्धारित लेखासीर्षक 0853-अलौह खनन धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात दिन के अन्दर खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।
- (6) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई०आई०ए० नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।
- (7) आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि के संबंध में सर्वप्रथम प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।
- (8) पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन सक्रिय सम्पादित करेगा।
- (9) राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने वाले खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन०बी०डब्ल्यू०एल० की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
- (10) उत्तराखण्ड शासन, ना० न्यायालयों एवं ना० राष्ट्रीय त्रिस्त अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- (11) सफल बोलीदाता/प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकारिक निधन अथवा ताम्बोर आरंभ होने की दशा में अपेक्षित कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
- (12) राज्य में अधिकतम मात्रा में खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के घुगत/खनन क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किसी परिस्थितियों में एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत कस लिये जाते हैं तो बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोड़कर जायेगा व 400 हे० पूर्ण होने पर अवशेष पट्टों हेतु अर्हा समाप्त मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेगे। इस प्रकार समर्पित हुए सपखनिज क्षेत्रों के लिए नए व कोटिकमानुसार कार्यवाही की जायेगी मरनु किसी खनन क्षेत्र या क्षेत्रफल 400 हे० से अधिक है तो उक्त दशा में एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो को एक खनन पट्टा स्वीकृत हो सकेगा।

  
**RAVINDRA PARMAR**  
(Geologist)  
Mining & Environmental Law Specialist  
(National Law University Dehra)  
RQP Reg. No. RQP/DM/08/2017

(13) खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत पढ़ने वाली निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।

(14) (क) यदि आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र के नवीनीकरण हेतु आशय पत्र में स्वीकृत अवधि की समाप्ति से न्यूनतम पन्द्रह कार्य दिवस से पूर्व ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(ख) पचास हैस्टेयर तक के क्षेत्रफल के प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के आशय पत्र का छः माह के उपरान्त बिना किसी अतिरिक्त देयक के ऑन लाईन नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी अधिकतम छः माह हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा, किन्तु आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि आशय पत्र के अग्रतार नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा ई-नीलामी के उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बचक के रूप में जमा कसना होगा। उक्त प्रक्रिया में अग्रतार वर्ष पूर्ण होने पर समान रूप से लागू करते हुए आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंजा नहीं रखते हैं व इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व में जमा की गयी अग्रिम धनराशि तथा बैंक गारन्टी राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दी जायेगी।

(15) आशय पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कराया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का ऑन लाईन परीक्षण करने के उपरान्त, यदि किसी प्रकार की कमी या आपत्ति पायी जाती है, तो निदेशक द्वारा पट्टाधारक को उक्त का निश्चित समयान्तर्गत निराकरण किये जाने हेतु ऑन लाईन अवगत कराया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा कमियाँ एवं आपत्तियों का निराकरण ऑन लाईन किये जाने के उपरान्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की ऑन लाईन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत कुल अवधि में से अवशेष अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश ऑन लाईन निर्गत किया जा सकेगा।

(16) खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम आर्थिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। आर्थिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समापन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अचलकर कर दी जायेगी।

(17) निदेशक द्वारा सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख तैयार कर ऑन लाईन प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नामित नोडल अधिकारी को भी ऑन लाईन होगी। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतिमा संबंधित जनपदीय जिलाधिकारी को हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित जनपदीय जिलाधिकारी को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेगी। संबंधित जनपदीय जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

**RAVINDRA PARMAR**  
(Geologist)  
Mining & Environmental Law Specialist  
(National Law University Dehra)  
RGP Reg. No. RGP/EDN/08/2017

- (18) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
- (19) ई-निविदा सह ई-नीलाभी में प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि होगी। ई-निविदा सह ई-नीलाभी में प्राप्त उपखनिज की कुल मात्रा व बोली की धनराशि के आधार पर उक्त खनन क्षेत्र के उपखनिज की प्रतिटन देय धनराशि निर्धारित होगी।
- (20) खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी व बिन्दु सं० 18 के अनुसार प्रतिटन रायल्टी धनराशि निर्धारित होगी।
- (21) आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज लॉट का सीमाकन, खसरा विवरण एवं पीलरबन्दी की कार्यवाही-सीमाकन शुल्क नियम-17 के अनुसार, सीमास्तम्भ (साईज-05 फिट जमीन के ऊपर तथा 03 फिट जमीन के भीतर, जो 2 x 2 फिट की चौड़ाई जी०पी०एरा० रिडिंग सहित) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित किये जायेंगे।
- (22) पट्टा विलेख के निष्पादन व पंजीकरण के दिनांक से खनन सक्रियार्थे प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन सक्रियार्थे का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।
- (23) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदि जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रूकी हो, उससे अग्रतः कार्यवाही के संबंध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

गरिमा रौकली  
सयुक्त सचिव

संख्या: 1617 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं०-738/ई०-निवि०सहई-नीला०/भू०खनि०ई०/स०सि०नगर/2018-19 दिनांक 5 जुलाई, 2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी वार्ड-3, सितारगज, उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

माझा से

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)

उप सचिव

RAVINDRA PARMAR  
(Geologist)  
Mining & Environmental